न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 70/2023 (2023/)

निहाली देवी पत्नि रामकिशन गुर्जर निवासी बोहरा कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
——प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

स्थितः—

नवलकिशोर पारीक :— अधिवक्ता प्रार्थीगण

कार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 128 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम नायकी तहसील कड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
179—165	1122	0.22	बारानी 1
	1123	0.41	बारानी 1
	1124	0.62	बारानी 1
	1125	2.71	बारानी 1
	1138	0.01	गै.मु.चाह
	1139	3.88	बारानी 1
	1190	0.41	बारानी 1
	कुल किता 7	**कुल रकबा 8.31 हैक्टर**	

प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजीयात जो कि प्रार्थीया के कब्जे, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त आराजीयात के स्थाई सीमाचिन्ह नही होने से सीमा को लेकर काश्त करने में आये दिन विवाद होता है जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात पर नाप चोप करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहती है ताकि भविष्य में आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नही हो सके। प्रार्थीया द्वारा आराजीयात का नाप चौप कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाने हेतु दिनांक 04.04.2023 को अप्रार्थी को निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी ने कोई सुनवाई नही की जिस कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम नायकी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया—पुराना 179—165 में दर्ज खसरा नम्बर 1122, 1123, 1124, 1125, 1138, 1139, 1190 किता 7 कुल रकबा 8.31 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर